न्यायालय उप जिला कलेक्टर बाडीकुई जिला-दौसा

प्रकरण नं० 81/2021

प्र० पत्र दिनांक 23-07-2021

निर्णय दिनांक 11-03-2022

[illegible]

1. लक्ष्मी पत्नि कल्याण जाति माली निवासी जागीर बाडीकुई तहसील बसवा जिला-दौसा
2. गुड्डी पुत्री कल्याण पत्नि हरभान जाति माली निवासी जागीर बाडीकुई हाल निवासी कृष्ण मंदिर के पीछे लोटा की ढाणी गणेशपुरा-दौसा
3. शकुन्तला पुत्री कल्याण पत्नि रतनलाल जाति माली निवासी जागीर बाडीकुई तहसील बसवा जिला-दौसा
4. लाडबाई पुत्री सोन्या पत्नि बसन्तीलाल जाति माली निवासी जागीर बाडीकुई हाल निवासी-गीदली तहसील मण्डावर।

...वादीगण

बनाम

1. भगवती पत्नि बसन्तीलाल
2. कैलाश
3. बुद्धालाल
4. बाबूलाल
5. मुकेश
6. भंवरलाल

पुत्रान बसन्तीलाल जाति माली निवासी जागीर बाडीकुई तहसील बसवा जिला दौसा

7. लाली पुत्री बसन्ती लाल पत्नि पूरण जाति सैनी निवासी सकरेला तहसील राजगढ
8. भोली पुत्री बसन्तीलाल पत्नि सुरेश जाति माली निवासी सकरेला का बास आभानेरी तहसील बसवा जिला-दौसा
9. नर्वदा पुत्री बसन्तीलाल पत्नि शंकर जाति माली निवासी सकरेला का बास आभानेरी तहसील बसवा जिला-दौसा।
10. सावित्री पुत्री बसन्तीलाल पत्नि पप्पू जाति माली निवासी सब्जी मण्डी के पीछे बर्फ फैक्ट्री के पास [illegible]
11. धन्नी पुत्री सोन्या पत्नि [illegible] जाति माली निवासी [illegible] चौराहा बाडीकुई रोड [illegible]
12. मांगीलाल
13. मुरालाल

पुत्रान भगवानसहाय जाति माली निवासी पाबडलपुरा तहसील बसवा जिला-दौसा

14. कल्लू उर्फ भगवानसहाय पुत्र कल्याणसहाय जाति माली निवासी जागीर बाडीकुई तहसील बसवा जिला-दौसा

cont

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

15. ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स शाखा गाडीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक
16. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बसवा जिला-दौसा

...प्रतिवादीगण

निर्णय

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व 151 सी.पी.सी. दावा दावा अधिकोषण नकास्पा एवं खारिज किये बाबत

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रा०पत्र दिनांक 23.7.2021 को पेश किया की विवादित भूमि बाबत वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व मे मुकदमा नं० 263/2007 अन्तर्गत कार्यवाही बनाम बहस्ती प्रस्तुत किया था जिसमे पक्षकार, विवादित भूमि समान है जिसमे न्यायालय हाजा द्वारा विवाद्यक, विरचित कर वादी साक्ष्य प्रस्तुत होने पर पत्रावली वादीगण प्रा० पत्र दिनांक 9.01.2013 के पेश करने से न्यायालय हाजा द्वारा वादी साक्ष्य बंद कर आदेश दिनांक 17.1.2013 प्रकरण खारिज कर दिया। उक्त दिनांक 17.1.2013 की बाबत न तो कोई अपील, निगरानी या रिव्यू नही करने से उक्त आदेश अंतिम होने से वादीगण बाध्य है। उक्त पूर्व के निर्णीत वाद पुनः उन्ही विवाद्यक की बाबत पश्चातवर्ती वाद का विचारण धारा 11 पूर्व न्याय के सिद्धांत के अनुसार विचारण से प्रवारित करता है उक्त वाद तथा वाद परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुसार वाद हेतुक उत्पन्न होने के बाद 3 वर्ष की अवधि मे दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जबकी वाद हेतुक सन 2007 के वाद हेतुक उत्पन्न होने करीब 14 वर्ष बाद प्रस्तुत करने से वाद अवधि बाहर है वादीगण द्वारा पिताजी बाबत विवादित भूमि का प्रार्थी/प्रतिवादीगण के हक मे किये गये नामान्तरकरण नं० 207 दिनांक 22.4.2018 के विरुद्ध अपील न्यायालय अति० जिला कलेक्टर महोदय दौसा मे प्रस्तुत की गई जो खारिज की जाकर भी है जिसकी अपील न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त ... द्वारा दिनांक 30.11.2016 को वादीगण की अपील खारिज कर दी है जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल ... के समक्ष प्रस्तुत की जिसमे वादीगण को गोद्या के वारिसान मानते हुये नया ना० नं० 207 मे प्रतिवादीगण के पिता का सोन्या का नाम खारिज माननीय न्यायालय राज० मं० अजमेर द्वारा निगरानी दि० 9.9.2019 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खारिज कर दी गई है इसलिये वादीगण वाद विधि द्वारा वर्जित होने से मय खर्चा (वजह) दावा खारिज किया जावे। प्रा० पत्र वादी ने दस्तावेज पुष्टि में दावा सं० 263/07 लाडबाई बनाम बसन्ती बाई (सिविल) प्रति अपील सं० 8116/2016 बकल [illegible] लाडबाई न्यायालय रा० उ० न्या० अजमेर, फोटो [illegible] पत्र दिनांक 12-12-2016, सिविल अपील सं० 492/19 [illegible] वादीपुर, फोटो प्रति जमानत प्रा० पत्र सं० 139/21 न्यायालय ADJ-1 [illegible] प्रस्तुत किये।

वादीगण द्वारा जवाब प्रा० पत्र प्रार्थी/प्रतिवादीगण दिनांक 7.7.22 को पेश किया कि प्रार्थना में पूर्व मुकदमा अदालती लाडबाई बनाम बसन्ती प्रस्तुत किया जाना स्वीकार मात्र स्वीकार है शेष कथन प्रा० पत्र बनावटी होने से अस्वीकार है। पूर्व प्रस्तुत वाद अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है। विवादित भूमि बाबत नामान्तरकरण अपील किये जाने से वकील सलाह पर वाद विड्रा किया गया है। नामान्तरकरणों की अपीलों का निस्तारण उस निर्देश के द्वारा है कि उक्त विवाद वाद से ही तय हो सकता है नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने पर वाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण वाद की कोई मनाही नहीं होती है। वादीगण द्वारा सिन्धा के वारिस बताकर दावा [illegible] किया स्वीकार है शेष प्रा० पत्र [illegible] अस्वीकार है। जवाब में अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रा० पत्र 07 R 11 सी.पी.सी. बनावटी असत्य है प्रा० पत्र में वाद 07 R 11 CPC के किन बिन्दुओं के वाद चलने योग्य नहीं है नहीं बताया गया है। पूर्व में प्रस्तुत वाद विड्रा किया है अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है वादीगण वाद जवाब दावा लेने, विवाधक बनाकर साक्ष्य आने के बाद निर्णय किया जाना [illegible] प्रा० पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी खारिज किया जावे।

प्रा० पत्र 07 R 11 [illegible] पक्षकारान अभिभाषक सुनी गई। वादीगण अभिभाषक श्री नवीन गुर्जर ने बहस में बताया की पूर्व वाद लाडबाई बनाम बसन्ती विड्रा करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

से निस्तारित हुआ है। तथा विवादित भूमि बाबत अपील का निस्तारण होने पर वाद नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने पर साम्पत्तिकता का दावा प्रस्तुत किया है जिसको कोई निषेध नहीं होते। वादी पूर्व वाद विड्रा किये जाना कोई अंतिम निर्णय नहीं है। प्रतिवादीगण प्रा० पत्र 07 R 11 CPC मे वाद निल विड्रा से नहीं चल सकता स्वीकार नहीं किया वादी वकील द्वारा RRD 14.12.2016 Page No 782,783 Bhanwar singh Rajput v/s Bhagwan singh & ors - (152) Revision No 4245/Bhilwara of 2014 decided on 7th Septemb. 2016, RRT 2018(1) Ganga shyam v/s Murli Manohar Hardeo Ji & ors Revision No 5237/Bharatpur of 2005 Decided on 17th May 2017, RRT 2015(1) Sundari (Smt) & ors v/s Smti Kali Devi & ors Revision TA No 5564 Jaipur of 2012 decided on 18th June 2014 प्रस्तुत किया तथा प्रा० पत्र 07 R 11 CPC खारिज किये जाने से उक्त प्रकरण तथा प्रतिवादीगण प्रा० पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन प्रस्तुत किया।

प्रतिवादी वकील Mr अमरसिंह गुर्जर ने बहस मे बताया कि वादीगण द्वारा पूर्व वाद लापरवाई बनाय दलीलों के प्रकार पूर्व वाद वादीगण द्वारा दिनांक विवादित भूमि समान होने व पूर्व वाद वादीगण द्वारा दिनांक 17.7.2018 को विड्रा किये जाने अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दिनांक 17.7.2018 को विड्रा किये जाने अतः उसी विवादक की बाबत पश्चातवर्ती निर्णय किया गया है। अतः न्याय के सिद्धांत के अनुसार विचारण वाद का विचारण बाधा ।। पूर्व न्याय के सिद्धांत से अनुसार विचारण वाद का विचारण बाधित है। विवादित आराजी बाबत प्रतिवादीगण के द्वारा प्रमाणित करता है। [illegible] दिनांक 22.4.18 को पिता के देहांत से पौत्र नामान्तकरण [illegible] न्यायालय श्रीमान विरुद्ध वादीगण अपील [illegible] नायब तहसीलदार, प्रति जिला कलेक्टर दौसा, आर [illegible] ख़ारिज की गयी। इस तरह न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा [illegible] खारिज की गयी। इस तरह न्याय [illegible] विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जावे।

Cont-

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हमने पक्षकार अभिभाषक बहस पर मनन [illegible] तथा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी०पी०सी० एवं जवाब प्रा० पत्र वादीगण व पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं [illegible] [illegible] प्रा० पत्र एवं प्रा० पत्र प्रतिवादीगण के [illegible] [illegible] विवादित भूमि बाबत पूर्व में प्रस्तुत वाद उजरदारी [illegible] [illegible] [illegible] प्र० सं० 363/2007 एवं नया वाद [illegible] [illegible] [illegible] प्र०सं० 81/2021 को विवादित भूमि पक्षकार समान है। वादीगण वाद [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली संलग्न प्रमाणित प्रतिलिपि के न्यायालय [illegible] के बनाम [illegible] आदेशिका दिनांक 9-01-2013, 17-01-2013 से वादीगण द्वारा वाद [illegible] विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध किया जाना प्रकट है। जो वाद [illegible] [illegible] विधिक प्रक्रिया के विरुद्ध किया जाना प्रकट है। [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि विवादित भूमि का प्रतिवादीगण पिता के हक में किये गये नामान्तकरण सं० 207 दिनांक 22-4-2018 के विरुद्ध वादीगण द्वारा अपील माननीय सहायक न्यायालय [illegible] [illegible] कलेक्टर दौसा, मा० न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त जयपुर मा० न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा खारिज की गई है। इस तरह वादीगण द्वारा प्रस्तुत नया वाद विधि-विरुद्ध [illegible] [illegible] है।

वादीगण द्वारा वाद नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा होने से प्रस्तुत करना जाहिर किया है कि वाद पूर्व में विड्रा किया है अंतिम निर्णय नहीं हुआ। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रा० पत्र में वर्णित कथनो एवं उनके द्वारा प्रस्तुत नजीरो के वाद नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना बताया है। के आधार पर आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन को खारिज कर दिया जावे कोई कारण प्रकट नहीं करता। इस तरह वादीगण द्वारा विवादित भूमि, व पक्षकार समान होने व पूर्व वाद विड्रा किये जाने के लम्बित होने से एवं [illegible] समान होने व पूर्व वाद विड्रा किये जाने के [illegible] होने से एवं [illegible] वाद नया कॉज ऑफ एक्शन पैदा नहीं होने की स्थिति में प्रतिवादीगण प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व 151 सी०पी०सी० स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि,

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 11 व 151 सी०पी०सी० [illegible] [illegible] स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने से वादीगण [illegible] विरुद्ध प्रतिवादीगण [illegible] आधिपत्य, नकारमा [illegible] [illegible] [illegible] वादीगण [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्थित भूमि ख० नं० 1183, 11[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] स्थित भूमि ख०नं० 1643, 1640, 1641, 163[illegible] [illegible] [illegible] नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(नीरज कुमार मीना)
R.A.S.
उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Kumar Meena
Date: 2022.04.17 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner